

(अनुसूची-3)

प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, मुरौल, मुजफ्फरपुर

-: कार्यालय आदेश :-

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (बेसिक ग्रेड, समान्य विषय) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबन्धिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं, तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची:-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विजय कुमार	बिन्देश्वर महतो	ग्राम- यदूपारन पो०- जगदीश पारन थाना- चकमेसी जिला- समस्तीपुर पिन-848302 मो० 7979733314	4347	EBC (VH)	05-10-1990	बेसिक	उ०म०वि० बलुआ कन्या
2	वर्षा रानी	लखन पंडित	ग्राम-बेलताल, नियर- रजिस्ट्रि ऑफिस थाना-दानापूर जिला-पटना 800012 मो०- 8579058385	3642	EBC	30-04-1974	बेसिक	म०वि० शंभुनाथपुर डाली
3	भारती कुमारी	राम दयाल प्रसाद	ग्राम+पो०- सराय थाना-सराय जिला-वैशाली पिन-844125 मो०- 7677803863	5976	EBC (F)	01-02-1988	बेसिक	उ०म०वि० महमदपुर मोहन
4	अंजली कुमारी	जय राम पंडित	ग्राम+पो०- धर्मागतपुर बथुआ थाना- पुसा जिला-समस्तीपुर पिन-848115 मो०-9905336530	803	EBC (F)	24-02-1993	बेसिक	म०वि० महमदपुर कन्या
5	प्रेरणा कुमारी	राम प्रवेश शर्मा	ग्राम- हरपुर कृष्णा थाना- सकरा जिला-मुजफ्फरपुर पिन- 843119 मो-8210193688	2185	EBC (F)	15-07-1988	बेसिक	उ०म०वि० मारकन
6	कुमारी श्वेता	राम पुकार सिंह	केवस निजामत थाना- समस्तीपुर जिला-समस्तीपुर पिन-848134 मो०-7359552253	1981	BC (F)	05-03-1986	बेसिक	उ०म०वि० मारकन

	मंजेलाल शर्मा	अशोक शर्मा	ग्रा+पो- माहपुर थाना-बोचैहा जिला-मुज0 पिन-843103 मो0-9546221155	4097	ST	10-10-1988	बेसिक	म0वि0 पिलखी
26	जितेन्द्र कुमार	शत्रुघ्न महतो	ग्राम-लौतन पो-मुरौल थाना-सकरा जिला-मुज0 पिन-843121 मो0-9507515614	4395	SC	04-09-1992	बेसिक	म0वि0 अब्दुलपुर रैनी
27	विनय राज अरुण	विद्यापति पासवान	डढिया बेलार पो-कर्पूरीग्राम थाना-समस्तीपुर जिला-समस्तीपुर पिन-848129 मो0-9507639519	6054	SC	12-04-1980	बेसिक	उ0म0वि0 द्वारिकापुर
28	विवेक कुमार	महेश प्रसाद	ग्राम-रतनपुर केवल पो-कटेश्वर थाना-सकरा जिला-मुज0 पिन-843144 मो0-9798228122	3713	EBC	20-01-1994	बेसिक	उ0म0वि0 मुशहर लौतन
29	विवेक कुमार	लाल देव पंडित	रतवारा सदर जिला-मुज0 पिन-842002 मो0-9504663093	4496	EBC	20-05-1992	बेसिक	उ0म0वि0 मुशहर लौतन
30	मुकेश कुमार	रामचन्द्र साह	सैदपुर चकमेहसी जिला-समस्तीपुर पिन-848125 मो0-9534157936	4932	EBC	15-07-1992	बेसिक	रा0बु0वि0 बखरी
31	अमरजीत राय	सुरेश राय	महमदपुर मोपत थाना-सकरा जिला-मुज0 पिन-843119 मो0-8294230905	1433	BC	15-08-1992	बेसिक	म0वि0 शम्भुनाथपुर ढोली
32	कृष्णदेव प्रसाद	जगपत राय	सेहान थाना-गोरौल जिला-वैशाली पिन-844112 मो0-9708743449	1618	BC	01-02-1990	बेसिक	म0वि0 मुरौल
33	युगलकिशोर यादव	राम प्रसाद यादव	भाटावारी फुलपरास जिला-मधुबनी पिन-847409 मो0-9284094251	1788	BC	15-12-1989	बेसिक	म0वि0 अब्दुलपुर रैनी
34	मृणाल भास्कर	अभय कुमार	बेलारोड इमली चौक आर0 के0 आश्रम जिला-मुज0 पिन-842001 मो0-9205041932	09	UR	16-03-1996	बेसिक	उ0म0वि0 विशनपुर श्रीराम
35	अभिषेक कुमार	संजय कुमार सुमन	नवलपुर मिश्रौलिया सिहो सकरा मुज0 पिन-843119 मो0-7279848556	1285	EWS	13-03-1997	बेसिक	रा0बु0वि0 बखरी

प्रखण्ड शिक्षक नियोजन ईकाई खानपुर
कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (अंग्रेजी) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित विवरणी में अंकित अभ्यर्थी का घयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबन्धिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापना के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

घयनित अभ्यर्थी की विवरणी :-

क्र० स०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आस्थापना कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ज्योति रानी	रघुनन्दन महतो	ग्राम-पो-शोमन, धाना- खानपुर जिला- समस्तीपुर	16	पिछड़ा वर्ग (महिला)	19/11/1988	स्नातक	उ०म०वि० मधुटोल

- संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशिक्षणिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र, BETET/CTET Result card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथपत्र विहित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- प्रमाण पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन ईकाई से संबंधित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
- उक्त नियमावली एवं समय समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सचिव

प्रखण्ड शिक्षक नियोजन ईकाई खानपुर

दिनांक 25.02.2022

ज्ञापांक:- 26

प्रतिलिपि- 1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर अचूक रूप से देना सुनिश्चित करेंगे।

3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिला के NIC के website पर अपलोड करना चाहेंगे।

सचिव

प्रखण्ड शिक्षक नियोजन ईकाई खानपुर

अनुसूची-3
(जिला का नाम - मधुबनी)
(प्रखण्ड नियोजन इकाई बिस्फी)
कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध मध्य/उ० मध्य विद्यालय के स्नातक ग्रेड (विषय गणित विज्ञान 8 से 8) के प्रखण्ड शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।
चयनित अभ्यर्थियों की सूची :-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड वेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	अमरदीप कुमार	सुनिल सिंह	गोदियारी, ताजपुर, समस्तीपुर	747	UR	07-02-1995	स्नातक	उ० म० वि०, कमलाबारी पूर्वी

- संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सथ ही प्रमाण पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधि घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
- उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

हस्ताक्षर/-

सचिव

(प्रखण्ड नियोजन इकाई बिस्फी)

ज्ञापांक 217

दिनांक-18/04/2022

प्रतिलिपि:- 1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

3. प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, बिस्फी/चहुँटा अंचल को सूचनार्थ प्रेषित।

4. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) मधुबनी की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

5. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

6. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

हस्ताक्षर/-
18.04.2022

सचिव

(प्रखण्ड नियोजन इकाई बिस्फी)

अनुसूची-3
(जिला-समस्तीपुर)
(पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज रोहुआ पूर्वी, वारिसनगर)
कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (विषय-General) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबन्धिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।
चयनित अभ्यर्थियों की सूची:-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Md Sohail	Md Umar	Gohi Warisnagar Samastipur 848133	22	EBC	20/02/1996	Basic	P. S. Bhabhauri Tol Rohua

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण-पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3. योगदान के समय अभ्यर्थी को देहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4. प्रमाण-पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

(हस्ताक्षर)
सचिव

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज
रोहुआ पूर्वी, वारिसनगर

ज्ञापक..... 09 दिनांक 24/2/22

प्रतिलिपि:- 1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, वारिसनगर को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

(हस्ताक्षर)
सचिव

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज
रोहुआ पूर्वी, वारिसनगर

Candidate Copy (On Hand)

कार्यालय ग्राम पंचायत राज परसा शिवाजीनगर(समस्तीपुर)

मदन साह
पंचायत सचिव

मोबाईल नंबर- 9931927673
Email : C4chhotu.36830@gmail.com

अनुसूची-3

(जिला का नाम-समस्तीपुर)

नियोजन इकाई का नाम :-

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012(यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्त हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के रा0 प्रा0 वि0 खानपुर डोकठा, के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

क्र०सं ०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूचि क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/सनातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
05	मो0 रब्बानी	मो0 मोबीन अंसारी	दौलतपुर शेखोपुर वारिसनगर समस्तीपुर	742	EBC	12.05.1991	बेसिक ग्रेड	रा0 प्रा0 वि0 खानपुर डोकठा

- संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी भौक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र /अंक-पत्र, BETET/CTET Result Card में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया भापथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक भाल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेजन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृति करेंगे।
- उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सचिव

(नियोजन इकाई का नाम)

23/02/2022

ज्ञापांक ...10... /दिनांक ...23/02/2022

प्रतिलिपि : संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रशित।

प्रतिलिपि : विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रशित करते हुए कहा है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अद्युक्त रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी समस्तीपुर, को सूचनार्थ प्रशित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के website upload करना चाहेंगे।

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर को सदा सूचनार्थ समर्पित।

सचिव

(नियोजन इकाई का नाम)

23/02/2022

अनुसूची-3
(जिला का नाम- समस्तीपुर)
(नियोजन इकाई का नाम- प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई, सरायरंजन)
कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली - 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर पंचायत प्राथमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली - 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (I - V विषय-सामान्य) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबधिक होगी।

उक्त निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों तो 30 दिनों के अंदर डे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित चयनित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची -

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेडा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अल्का श्रीवास्तवा	विनय कुमार श्रीवास्तवा	वार्ड-11 मुफ्त्सिल,धाना-मोहन पुर,समस्तीपुर	2203	UR (F)	01.01.1980	बेसिक	उत्कर्मित माध्य विद्यालय जिल्लापुर टीका

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र, BETET/CTET Result card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असीनिक शल्य चिकित्सा-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

Kushan
23/02/2022
सचिव

प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई, सरायरंजन

ज्ञापक- 24 /

सरायरंजन

दिनांक- 23 फरवरी 2022 ई०।

प्रतिक्रिया-1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधीहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के website पर Upload करना चाहेंगे।

Kushan
23/02/2022
सचिव

प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई, सरायरंजन

अनुसूचि-3
(जिला :- समस्तीपुर)
प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, मोहनपुर
कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियामावली-2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियामावली-2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (VI-VIII, विषय- अंग्रेजी) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची :-

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	नीलेश कुमार	हरेश्वर प्रसाद सिंह	मोतीपुर, ताजपुर, समस्तीपुर	15	UR	02.12.1995	स्नातक	उमोवि० जलालपुर

- संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया रापथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- प्रमाण पत्र जाली/अन्तलेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
- उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सचिव


प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई,
मोहनपुर, समस्तीपुर।

ज्ञापांक 300 / दिनांक 25/02/2022

प्रतिलिपि :- संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।


 प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई,
 मोहनपुर, समस्तीपुर।

अनुसूची-3
(जिला-समस्तीपुर)
(पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज रोहुआ पूर्वी, वारिसनगर)
कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (विषय-General) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबन्धिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची:-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chanda Kumari	Ram Narayan Poddar	Begampur Shanichara Sthan Ward 09 Warisnagar Samastipur Pin 848101	19	BC(F)	10/12/1990	Basic	P. S. Chiriyari Tol Rohua

- संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण-पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावेंगे।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थी को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- प्रमाण-पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
- उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निर्मित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

(Handwritten Signature)
सचिव

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज रोहुआ पूर्वी, वारिसनगर

ज्ञापांक.....05..... दिनांक.....24/2/22.....

प्रतिलिपि:- 1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, वारिसनगर को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

(Handwritten Signature)
सचिव

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज रोहुआ पूर्वी, वारिसनगर

Candidate Copy (On Hand)

अनुसूची-3
(जिला का नाम- समस्तीपुर)
(नियोजन इकाई का नाम- पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, गंगसारा)
कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली - 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली - 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (I-V विषय-सामान्य) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करे अन्यथा संबंधित चयनित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची :-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	हर्षिता कुमारी	वैजनाथ राय	ग्राम+पो0-गंगसारा थाना-सरायरजन जिला- समस्तीपुर	06	BC F	25.01. 1994	बेसिक	प्रा0 वि0 अहमदपुर किड़ाटोल वार्ड-06

- संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र, BETET/CTET Result card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगे।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सा-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- प्रमाण पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
- उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

(हस्ताक्षर)
23.2.2022
सचिव

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, गंगसारा।

ज्ञापांक-.....01...../

बथुआ बुजुर्ग

दिनांक-.....23.....वीं फरवरी 2022 ई०।

प्रतिलिपि-1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

- विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।
- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के website पर Upload करना चाहेगे।

(हस्ताक्षर)
23.2.2022
सचिव

प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई, गंगसारा।

अनुसूची-3
(जिला का नाम- समस्तीपुर)
(नियोजन इकाई का नाम- प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई, सरायरंजन)
कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली - 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली - 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (I - V विषय-सामान्य) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित चयनित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची :-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	श्रुति	दिनेश प्रसाद राय	W/O आलोक राज सरोजनी गली, बारह पत्थर, समस्तीपुर पिन-848101	87	UR (F)	01.01.1993	बेसिक	उत्कर्मित मध्य विद्यालय नरघोषी

- संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र, BETET/CTET Result card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगे।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सा-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- प्रमाण पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
- उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

Kyolay
23/01/22
सचिव

प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई, सरायरंजन

ज्ञापांक- 14 /

सरायरंजन

दिनांक- 23 वीं फरवरी 2022 ई०।

- प्रतिलिपि-1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अघोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अद्यक रूप से देना सुनिश्चित करें।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के website पर Upload करना चाहेगे।

Kyolay
23/01/22
सचिव

प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई, सरायरंजन

अनुसूची-3

(समस्तीपुर)

प्रखंड नियोजन इकाई, कल्याणपुर।

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के 40 वि० धुवगामा विषय सामान्य शिक्षक (बेसिक ग्रेड) के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति अंतिम होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर व संबंधित पदस्थापित के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची -

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
2	3	4	5	6	7	8	9
प्रवीण कुमार	अरूण कुमार प्रसाद	ग्राम+पो0- कल्याणपुर, थाना-कल्याणपुर, जिला-समस्तीपुर	2364	EWS	05.02.1992	बेसिक ग्रेड	40 वि० धुवगामा

संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, BETET CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के उद्देश में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र के रूप में सत्यता प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावेंगे।

योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र को सत्यापन करके तत्पश्चात् ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को पता देना होगा।

23.12.2021
सचिव

ज्ञापक: 67, दिनांक: 23.12.2021, प्रखंड नियोजन इकाई, कल्याणपुर, (समस्तीपुर)।

- प्रतिलिपि : 1 संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2 विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधीहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें। जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिला के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

Handwritten signature and date: 23.12.2021

23.12.2021
सचिव

प्रखंड नियोजन इकाई, कल्याणपुर, (समस्तीपुर)।

जिला का नाम:- दरभंगा

नियोजन इकाई का नाम:- बहेडी

(कार्यालय आदेश)

बिहार पद्यायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के अलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्रारंभिक/मध्य विद्यालय के (विषय-अंग्रेजी) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबन्धिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची:-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	भेष सूची क्र.0	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	पद (बैसिक/स्नातक)	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	रुबी कुमारी	कृष्ण कांत सिंह	ग्राम- इनाई, बहेडी, दरभंगा 047105	236	UR	25-08-1996	स्नातक	न० वि० बंजरी
2	अर्चना कुमारी	उमाशंकर प्रसाद	गढौलीया, दरभंगा	270	UR	31-07-1982	स्नातक	न० वि० निर्मली
3	कुल सरीता कुशवाहा	तारा प्रसाद	बरुआरा उ० प्रदेश	445	UR	10-01-1993	स्नातक	न० न० रजखा
4	रीना	विजयनाथ झा	धतरिया, बहादुरपुर, दरभंगा	374	UR	12-09-1988	स्नातक	न० वि० ददरवाड़ा
5	प्रिया कुमारी	दयारंकर पाण्डे	सिमरी रोहतास	654	UR	17-08-1988	स्नातक	न० वि० जौरजा
6	सोनाली कुमार दीक्षित	प्रमोद कुमार दीक्षित	साफाखाना रोड, झामराव, बक्सर	819	UR	02-01-1991	स्नातक	न० वि० धनीली
7	सुशानु कुमारी	रामचंद्र सिंह	जैमरा, बरीनी, बेगुसराय	1061	URF	19-10-1987	स्नातक	न० वि० कियरान
8	प्रियंका	विपिन मिश्रा	धकजरी बेगुसराय	1220	URF	14-07-1991	स्नातक	न० वि० बधीनी
9	अर्पणा कुमारी अर्पण	नारेंद्र झा	जलालपुर, मुजफ्फरपुर	1399	URF	09-04-1986	स्नातक	न० वि० पधारी
10	कुलमणी केशवहा	आस्तौन कुमार	खुशियलपट्टी मधुबनी	1525	URF	04-04-1991	स्नातक	न० वि० सुसारी
11	मिक्की कुमारी	राजकुमार झा	मुकसिल, बेगुसराय	1534	URF	04-08-1988	स्नातक	न० वि० बकमजल
12	प्रियंका कुमारी	बजरंग सिंह	राजमगर, मुजफ्फरपुर	1797	URF	02-01-1981	स्नातक	न० वि० नौडेगा

क्रम क्रमांक - 34

राजीव कुमार

32	कुशल कुमार	राम शंकर महल	लक्ष्मीपुर बाडा, बहेडी, दरभंगा	671 A	BC	25-07-1995	स्नातक	म० वि० मुरली
33	आशीष कुमार	सकलदेव यादव	करारी, मुंगेर	687	BC	10-09-1989	स्नातक	म० वि० शिमरी
34	राजीव कुमार	राम कुमार महतो	बहा, रोसरा, समस्तीपुर	122	UR	27-05-1993	स्नातक	म० वि० कन्या बहेडी
35	अभिमन्यु कुमार यादव	रामनारायण सिन्हा	बल्लीपुर, समस्तीपुर	131	UR	12-11-1996	स्नातक	वि० म० वि० बहेडी
36	प्रकाश कुमार	चन्द्रमोहन यादव	बीबीगंज, किशनगंज	285	UR	12-04-1990	स्नातक	म० म० वि० दिलावरपुर
37	अनील कुमार	राम लक्षण यादव	राद, मधुबनी	351	UR	19-01-1994	स्नातक	म० वि० गुजरीली रमौली
38	सरोज कुमार	राजा राम महतो	छोटीजाना, बेगूसराय	321	UR	05-05-1991	स्नातक	म० वि० मधुबन
39	अमित कुमार	नरेश महतो	सोहिलवारा, बेगूसराय	360	UR	03-04-1994	स्नातक	म० वि० हावीडिह
40	राहुल कुमार	अशोक कुमार सिंह	हवलदार टोला, खगड़िया	436	UR	02-02-1994	स्नातक	म० वि० मट्टाराही
41	जयकुमार पाठक	जय प्रकाश उपाध्याय	बड़हारा, भोजपुर	636	EWS	15-01-1993	स्नातक	म० वि० गुजरीली रमौली
42	विजेन्द्र कुमार झा	अरुण कुमार पाठक	बीउट, बरौनी, बेगूसराय	653	EWS	12-11-1987	स्नातक	म० वि० कामारपोखंड
43	जितेन्द्र कुमार सिंह	रामाकान्त झा	मुतहा, रोसड़ा, समस्तीपुर	855	EWS	05-01-1989	स्नातक	म० वि० खरारी बालक
44	सोनु कुमार	सुधीर कुमार सिंह	जवलपुर, पटना	837	EWS	16-08-1978	स्नातक	म० वि० चकवा
45	अमित गुजन	विनय कुमार सिंह	न्यू प्रोफेसर कॉलनी, बेगूसराय	82	UR	07-07-1987	स्नातक	म० वि० बिहरीना
46	अब्दुल गफ्फार	मूपेन्द्र मिश्रा	सुन्दर वन, दरभंगा	33	UR	05-01-1995	स्नातक	म० वि० ददस्वाडा
47	मो० महवर अख्तर	मो० एकरामूल हक	विषहरिया, अररिया	482	UR	31-08-1989	स्नातक	म० वि० चकला
48	गोपाल कृष्ण पाठक	मो० शमीम अख्तर	लहरा, किशनगंज	531	UR	20-06-1987	स्नातक	म० वि० शेर
49	गोपाल कृष्ण पाठक	दीनानाथ पाठक	नियाजीपुर, बक्सर	631	UR	15-02-1979	स्नातक	म० वि० मोईन महुआ

शिव कुमार सुमन	शिव कुमार झा	बरहारा, मधुबनी	1303	UR	09-02-1984	स्नातक	मो वि० चकला	
50	पुष्प कुमारी	अफांक कुमार	काशीपुर समस्तीपुर	503	UR	25-02-1992	स्नातक	मो वि० निगौडी
51	रजना कुमारी	जवाहर सिंह	उचितनगर, साहरसा	2352	URF	20-04-1979	स्नातक	मो वि० कौपी घकला

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक पत्र/BTET/CTET Result Card की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण पत्र जाली/अन्तलेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सदस्य सचिव

प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई,

-सह-

कार्यपालक पदाधिकारी,

बहेडी, दरभंगा।

जापांक 03 / दिनांक 26/2/22

प्रतिलिपि: संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि: जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

सदस्य सचिव

प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई,

-सह-

कार्यपालक पदाधिकारी,

बहेडी, दरभंगा।

प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, तेघड़ा (बेगूसराय)


कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (पद्या संशोधित) एवं बिहार नगर प्राथमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (पद्या संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध मध्य विद्यालय के (स्नातक चंड, संस्कृत) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।
चयनित अभ्यर्थी की सूची -

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	वेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	चंड बेशिक / स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अभिनव कुमार	राम प्रसाद आर्य	कतेहपुर बाल, समसतीपुर	9	विघड़ा वर्ग	20.12.1993	स्नातक	उत्कामित मध्य विद्यालय बरियारपुर	

- संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, BTET/CTET Result Card की स्वयंनिष्पन्नित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा देंगे।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- प्रमाणपत्र जाली/अनृत्यन/गलत पादे जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
- उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।



सचिव

प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई,
तेघड़ा (बेगूसराय)

ज्ञापक - 21 /नियोजन दिनांक - 24.02.2022

प्रतिलिपि -

- संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचना प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से सुनिश्चित करें।
- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तेघड़ा को सादर सूचना समर्पित।
- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचना प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।
- जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय को सादर सूचना समर्पित।


सचिव

प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई,
तेघड़ा (बेगूसराय)

अनुरूची-3
जिला- समस्तीपुर
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत कर्पूरीग्राम
कार्यालय आदेश


बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित)के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक विद्यालय के (सामान्य शिक्षक बेसिक ग्रेड) शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची:-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अनामिका	कुशेश्वर राय	ग्रा०-जुरखा डीह, पो०-कुढवा बड़हेता कल्याणपुर समस्तीपुर	424	URF	08/01/1985	बेसिक ग्रेड सामान्य शिक्षक	प्रा०वि० मुकुन्दपुर

- संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
- उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।



23-02-2022
सचिव

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, कर्पूरीग्राम

ज्ञापांक- 02

दिनांक- 23.02.2022

- प्रतिलिपि:-
- संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 - विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।
 - जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के website पर Upload करना चाहेंगे।


23.02.2022
सचिव

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, कर्पूरीग्राम

अनुसूची-3
जिला- समस्तीपुर
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत बिक्रमपुर बान्दे

कार्यालय आदेश


बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित)के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक विद्यालय के (सामान्य शिक्षक बेसिक ग्रेड) शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची:-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रुची कुमारी खावर्षी	राजीव कुमार	शमपुर दुधपुरा	22	URF	11-11-1996	सामान्य	प्राथमिक विद्यालय बिक्रमपुर बान्दे

- संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशिक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- प्रमाणपत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
- उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।



सचिव

(पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, बिक्रमपुर बान्दे)

नवापरा सायब

ग्राम पंचायत बिक्रमपुर बान्दे

जिला-समस्तीपुर


ज्ञापक 05

दिनांक- 23/02/2022

प्रतिलिपि:-1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अद्योदरताकारी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अछूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के website पर Upload करना चाहेंगे।



सचिव


(पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, बिक्रमपुर बान्दे)

रायचत सायब

ग्राम पंचायत बिक्रमपुर बान्दे

जिला-समस्तीपुर

अनुसूची-3
नगर नियोजन इकाई, नगर परिषद, रोसड़ा
कार्यालय- आदेश



बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली- 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक(नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली- 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के बेसिक ग्रेड, सामान्य/उर्दू और स्नातक ग्रेड विषय हिन्दी के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें। अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची-

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मो० महताब आलम	जमील अहमद	इस्लामिया कॉलोनी, धर्मपुर, समस्तीपुर	09	EWS	16.02.1986	ग्रेड बेसिक (उर्दू)	प्रा० विद्यालय, पाँचपुर, रोसड़ा

- संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण- पत्र/अंक-पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण-पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सा-सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोशणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- प्रमाण- पत्र जाली/अंतर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
- उक्त नियमावली एवं समय-समय पर निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

कार्यपालक पदाधिकारी
सह-सचिव
नगर नियोजन इकाई,
नगर परिषद, रोसड़ा।

ज्ञापांक- 197 दिनांक- 25/2/22
नगर नियोजन इकाई, न0प0 रोसड़ा।

प्रतिलिपि:- संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- विद्यालय प्रधान/प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रोसड़ा को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के वेबसाइट पर अपलोड करना चाहेंगे।

कार्यपालक पदाधिकारी
सह-सचिव
नगर नियोजन इकाई,
नगर परिषद, रोसड़ा।

कार्यालय, सचिव, पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई-सह-
पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज-सलहा चंदन, प्रखण्ड-बिथान (समस्तीपुर)
कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक विद्यालय के सामान्य (1 से 5) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

रक्षित सिद्ध 10983

चयनित अभ्यर्थियों की सूची-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सत्य प्रकाश	सियाशरण कुमार सिंह	ग्राम+पो0-सनोखर, थाना-अलौली, जिला-खगड़िया पिन-848203 (बिहार)	41	UR	03.02.1995	बेसिक	प्राथमिक विद्यालय खोटा तिलकपुर

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, BETET/CTEC Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगे।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाण पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

25/02/2022
सचिव

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई-सह-
पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज सलहा चंदन

ज्ञापांक 04 / दिनांक 25/02/2022

- प्रतिलिपि :- संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

25/02/2022
सचिव

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई-सह-
पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज सलहा चंदन

अनुसूची-3

(जिला-समस्तीपुर)

(पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज बसंतपुर रमणी, वारिसनगर)

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (विषय-General) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।
चयनित अभ्यर्थियों की सूची:-

क्र. सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	पेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Md. Ashique Ansari	Md Safique Ansari	Hmasnagar Khanpur Samastipur 848117	14	EBC	02/11/1995	Basic	P. S. Navtoliya

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशिक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण-पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3. योगदान के समय अभ्यर्थी को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4. प्रमाण-पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

5. संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

6. उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा।

सचिव

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज
बसंतपुर रमणी, वारिसनगर

ज्ञापक.....05..... दिनांक 24/2/22.....

प्रतिलिपि:- 1. संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, वारिसनगर को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

सचिव

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज
बसंतपुर रमणी, वारिसनगर

Candidate Copy (On Hand)

अनुसूची-3

(जिला का नाम- दरभंगा)

(नियोजन इकाई का नाम :- दरभंगा नगर निगम, दरभंगा)

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (विषय-अंग्रेजी) के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची :-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	ग्रेड बेसिक / स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	नीतीश कुमार	ब्रजेन्द्र कुमार	ग्राम-भौर्य नगर पो०-जहानाबाद थाना-जहानाबाद जिला-जहानाबाद 804417	177	BC (PH-Y1)	28/02/1994	स्नातक ग्रेड	मध्य विद्यालय दोनार
2	सुमन कुमारी	सुनील कुमार शर्मा	मु०-बेलवागंज पो०-लहेरियासराय, थाना-लहेरियासराय, जिला-दरभंगा 846001	9	STF	18/11/1995	स्नातक ग्रेड	मध्य विद्यालय रत्नोपट्टी
3	अंजली शर्मा	दिनेश चन्द्र शर्मा	ग्राम-ताजपुर रोड, महादेव चौक धरमपुर निस्तामा पो०-समस्तीपुर थाना-समस्तीपुर जिला-समस्तीपुर 848101	74	STF	22/02/1996	स्नातक ग्रेड	मध्य विद्यालय लक्ष्मीसागर साधुगाछी
4	कुमारी सुगन्धा	मदन प्रसाद साह	मु०-राजकुमारगंज पो०-लालबाग, थाना-नगर, जिला-दरभंगा 846004	18	EBCF	14/04/1990	स्नातक ग्रेड	मध्य विद्यालय बंगलागढ़
5	रेशमा परवीन	मो० मक्की	ग्राम+पो०-बसतवारा थाना-सिमरी जिला-दरभंगा 847428	136	EBCF	24/03/1989	स्नातक ग्रेड	मध्य विद्यालय भीगो
6	गुरु प्यारी	प्रमोद शरण साह	ग्राम-रतनोपट्टी पो०-शुभंकरपुर थाना-नगर जिला-दरभंगा 846006	166	EBCF	20/08/1994	स्नातक ग्रेड	मध्य विद्यालय राजेन्द्रपुरी
7	अनामिका कुमारी	नारायण प्रसाद सिन्हा	ग्राम+पो०-बघौनी थाना- बहेड़ी जिला-दरभंगा 847105	47	BCF	27/02/1996	स्नातक ग्रेड	मध्य विद्यालय पंडासराय
8	सविता कुमारी	शुभ नारायण यादव	ग्राम-न्यू कॉलोनी दिलावरपुर पो०-मिल्कीचक थाना-बहादुरपुर जिला-दरभंगा 846009	52	BCF	18/03/1991	स्नातक ग्रेड	मध्य विद्यालय भगवानदास
9	संदली कुमारी	शत्रुघ्न प्रसाद यादव	ग्राम-गोड़ियारी पो०-दिवानीटोला साहुगढ़1 थाना-मधेपुरा जिला-मधेपुरा 852113	117	BCF	25/02/1993	स्नातक ग्रेड	मध्य विद्यालय लक्ष्मीसागर